

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक: प.8(30)गृह-12/कारा/2021

जयपुर, दिनांक: 06 JUN 2022

गृह (ग्रुप-6) विभाग  
शासन सचिव, जयपुर  
डायरी संख्या: 1796...  
08-06-2022

—: आदेश :—

कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 9, सन् 1894) की धारा 3 के खण्ड (1) सपठित राजस्थान कैदियों के लिये खुली हवा शिविर नियम, 1972 के नियम 2 के खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार स्वच्छ धारा योजना के तहत महिला छात्रावास, किशनगढ़, अजमेर को 16 बंदी क्षमता की अस्थाई "खुले हवा शिविर" एतद्द्वारा घोषित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. सोम्या झा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक बं.शा. /अजमेर/47/2021/55387-88 दिनांक 01.12.2021 के क्रम में।
2. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
3. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
4. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित आदेश की दो प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
5. सभापति, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
6. आयुक्त, नगर परिषद्, किशनगढ़, अजमेर।
7. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।
8. प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6) विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव